HISTORY

B.A.(Hon's) PART-II

Paper-III (Mediaeval Indian History)

Unit-III, (Administrative System of Sultanate period -1)

Dr. GUDDY KUMARI

(Guest Lecturer), History Deptt.

A.N.D. College, Samastipur

Lecture Series - 94

सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था

(Administrative System of Sultanate period)

भाग ----1

सल्तनत काल में भारत में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई जो मुख्य रूप से अरबी-फारसी पद्धति पर आधारित थी । सल्तनत काल में प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण रूप से इस्लामिक धर्म पर आधारित थी । उलेमाओं की प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। 'खलीफा' इस्लामिक संसार का पैगम्बर के बाद का सर्वोच्च नेता होता था । प्रत्येक सुल्तान के लिए आवश्यक होता था कि खलीफा से मान्यता दे, फिर भी दिल्ली सल्तनत के तुर्क सुल्तानों ने खलीफा को नाममात्र का ही प्रधान माना । दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में अधिकांश ने अपने को खलीफा का 'नायब' कहा । अलाउद्दीन खिलजी ने अपने को खलीफा का नाइब नहीं माना । मुबारक खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने खिलाफत के मिथक को तोड़कर स्वयं को खलीफा घोषित किया । मुहम्मद तुगलक ने अपने शासन काल के प्रारम्भ में खलीफा को मान्यता नहीं दी, पर शासन के अन्तिम चरण में खलीफा को मान्यता प्रदान कर दी।

सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है :-

(1) केंद्रीय प्रशासन,

(2) प्रांतीय प्रशासन,

(3) स्थानीय प्रशासन

(4) सैन्य संगठन

(5) न्याय तथा दंड व्यवस्था

(6) वित्त व्यवस्था

(1) केंद्रीय प्रशासन,

सुल्तान--- सुल्तान केन्द्रीय प्रशासन का मुखिया होता था। राज्य की पूरी शक्ति उसमें केन्द्रित थी । न्यायणलिका एवं कार्यपालिका पर सुल्तान का पूरा नियन्त्रण था । सल्तनत काल में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था, पर सुल्तान को यह अधिकार होता था की वह अपने बच्चों में किसी एक को भी अपना उत्तराधिकारी चुन सकता था। सुल्तान द्वारा चुना गया उत्तराधिकारी यदि अयोग्य है तो ऐसी स्थिति में सरदार नये सुल्तान का चुनाव करते थे । कभी-कभी शक्ति के प्रयोग से भी सिंहासन पर अधिकार किया जाता था। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान पूर्ण रूप से निरंकुश होता था । उसकी सम्पूर्ण शक्ति सैनिक बल पर निर्भर करती थी। सुल्तान सेना का सर्वोच्च सेनापति एवं न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था । सुल्तान शरीयत के अधीन ही कार्य करता था।

अमीर--- सल्तनत काल में सभी प्रभावशाली पद अमीरों के अधीन होते थे, इस लिए अमीरों का प्रभाव सुल्तान पर होता था । सुल्तान को शासन करने के लिए अमीरों को अपने अनुकूल किये रहना आवश्यक होता था। वैसे बलबन और अलाउद्दीन के समय में अमीर प्रभावहीन हो गये थे। प्रायः नये राजवंश के सत्ता में आने पर पुराने अमीरों को या तो मार दिया जाता था या फिर उन्हें छोटे पद दे दिये जाते थे । अमीरों का सुल्तान के चुनाव में महत्वपूर्ण योगदान होता था। लोदीवंश के शासन काल में अमीरों का महत्व अपने चरमोत्कर्ष पर था।

मंत्रिपरिषद्--- यद्यपि सत्ता की धुरी सुल्तान होता था फिर भी विभिन्न विभागों के कार्यों के कुशल संचालन हेतु उसे एक मंत्रिपरिषद् की आवश्यकता पड़ती थी, जिसे सल्तनत काल में

'मजलिस-ए-खलवत' कहा गया। मंत्रिपरिषद् की सलाह मानने के लिए सुल्तान बाध्य नहीं होता था। वह इनकी नियुक्ति एवं पदमुक्ति अपनी इच्छानुसार कर सकता था ।

मजलिस-ए- खास' में मजलिस-ए-खलवत की बैठक हुआ करती थी । यहाँ पर सुल्तान कुछ खास लोगों को बुलाता था।

बार-ए-खास' में सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिको और अन्य रईसों को बुलाता था।

बार ए-आजम' में सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। यहाँ पर विद्वान (मुल्ला, काजी भी उपस्थित रहते थे।

सल्तनत कालीन मंत्रिपरिषद् में 4 मंत्री महत्वपूर्ण थे

(1) वजीर (प्रधानमंत्री)-

इसके पास अन्य मंत्रियों की अपेक्षा अधिक अधिकार होता था और यह अन्य मंत्रियों के कार्यों पर नजर रखता था । मुख्यतः वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, उसे लगान, कर व्यवस्था, दान, सैनिक व्यय आदि की देख-भाल करना पड़ती थी। सुल्तान की अनुपस्थिति में इसे शासन का प्रबन्ध करना पड़ता था ।

बजीर दीवान-ए-इसराफ (लेखा परीक्षक विभाग), दीवान-ए-विजारत (राजस्व विभाग), दीवान-ए-इमारत (लोक निर्माण विभाग), दीवान-ए-अमीर कोही (कृषि विभाग) विभाग के मंत्रियों का प्रमुख होता था । वजीर के सहयोगियों में प्रमुख नायब-वजीर, मुसरिफ-ए-मुमालिक, मुस्तौफी-ए- मुमालिक, मजमुआदार एवं खजीन (खजांची) होते थे।

नायब वजीर- वजीर की अनुपस्थिति पर उसके स्थान पर कार्य एवं उसके सहयोगी के रूप में कार्य करता था।

मुशरिफ-ए-मुमालिक (महालेखाकार) - यह प्रान्तों एवं अन्य विभागों से प्राप्त होने वाली आय एवं उसके व्यय का लेखा जोखा रखता था। नाजिर इसका सहायक होता था।

मुस्तौफी-ए-मुमालिक (महालेखा परीक्षक)—यह मुशरिफ द्वारा तैयार किये गये लेखों-जोखों की जांच करता था। कभी-कभी यह मुशरिफ की तरह आय-व्यय का निरीक्षण करता था।

मजमुआदार- उधार दिये गये धन का हिसाब रखना एवं आय व्यय को ठीक करना मुख्य कार्य था ।

खजान (खजांची)-कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करता था।

दीवान-ए-वकूफ-- जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित इस विभाग का मुख्य कार्य व्यय के कागजात की देख-भाल करना होता था ।

दीवान-ए-मुस्तखराज-- वित्त विभाग से सम्बन्धित इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था । इसका कार्य अतिरिक्त मात्रा में वसूले गये कर का हिसाब रखना होता था ।

दीवान-ए-अमीर कोही-मुहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित इस विभाग का मुख्य कार्य मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल करना एवं भूमि को खेती योग्य बनाना होता था । ये समस्त विभाग दीवान-ए-विजारत विभाग से नियंत्रित होते थे। दीवान-ए-विजारत वजीर का कार्यालय होता था। विजारत को एक संस्था में प्रयोग करने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। दिल्ली सल्तनत के प्रारम्भिक वजीरों में कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन, एल्दोज, नासिरुद्दीन कुबाचा आदि थे। वजीर का पद दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर था लोदियों के शासन काल में यह पद महत्वहीन हो गया।

(2) आरिज-ए-मुमालिक---

सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था । इसका महवपूर्ण कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों एवं घोड़ों का हुलिया रखना, रसद की व्यवस्था करना, सेना का निरीक्षण करना एवं सेना की साज-सज्जा की व्यवस्था करना होता था । आरिज-ए-मुमालिक के विभाग को दीवान- ए- अर्ज' कहा जाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी।

वकील-ए-सुल्तान-नासिरुद्दीन महमूद (तुगलक वंश का अन्तिम शासक) द्वारा स्थापित इस विभाग का कार्य उस समय शासन व्यवस्था एवं सैनिक व्यवस्था की देख-भाल करना होता था। यह विभाग कुछ दिन बाद अस्तित्वहीन हो गया।

(3) दीवान-ए-इंशा--

शाही पत्र व्यवहार के कार्य का भार इस मंत्री पर होता था । यह सुलतान की घोषणाओं एवं पत्रों का मसविदा तैयार करता था । दबीर एवं लेखक इसके (दीवान-ए-ईशा) सहयोगी होते थे। फिरोज तुगलक के समय में इसका स्तर मंत्री का नहीं रह गया ।

(4) दीवान-ए-रसालत--

इस मंत्री के कार्यों के बारे में विवाद है । सम्भवतः यह मंत्री विदेशों से पत्र व्यवहार तथा विदेशों को भेजे जाने वाले एवं विदेश से आने वाले राजदूतों की देख-भाल करता था।

इन मंत्रियों के अतिरिक्त भी कुछ और भी मंत्री होते थे जैसे--

नाइब (नायब-ए-मामलिकात)-- इस पद की स्थापना इल्तुतमिश के पुत्र बहरामशाह के समय में उसके सरदारों द्वारा की गई । इस पद का महत्व अयोग्य सुल्तानों के समय में अधिक रहा, ऐसी स्थिति में यह पद सुल्तान के बाद माना जाता था। नाइब के पद का सर्वाधिक प्रयोग बलबन ने किया ।

सद्र-उस-सुदूर-- यह धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था । राज्य के प्रधान काजी एवं सद्र उस-सुदूर का पद प्रायः एक ही व्यक्ति को दिया जाता था। मुसलमानों से लिए जाने वाले, कर जकात' पर इस अधिकारी का अधिकार होता था । मस्जिदों, मकतबों एवं मदरसों के निर्माण के लिए धन मुहैया कराता था।

काजी-उल-कजात-सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। प्रायः मुकदमें इसी के न्यायालय में शुरू किये जाते थे। यह अपने से नीचे के काजियों के निर्णय पर फिर से विचार करने का अधिकार रखता था । प्रायः यह पद सद्र-उस सुदूर के पास ही रहता था।

बरीद-ए-मुमालिक-- गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था । इसके अधीन गुप्तचर संदेशवाहक एवं डाक चौकियाँ होती थी।

राज दरबार से सम्बन्धित अधिकारी निम्न थे--

वकील-ए-दर-- यह पद अत्यन्त महत्वपूर्ण होता था। यह शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देख-भाल करता था।

बाखक-- यह दरबार की शान-शौकत एवं रस्मों की देख-रेख करता था।

अमीर-ए-हाजिब–सुल्तान से मिलने वालों की जांच पड़ताल करता था।

अमीर-ए-शिकार—यह सुल्तान के शिकार की व्यवस्था किया करता था।

अमीर-ए-मजलिस-- शाही उत्सवों एवं दावतों का प्रबंध करता था।

सर-ए-जांदर-- सुल्तान के अंग रक्षकों का अधिकारी होता था।

अमीर-ए-आखूर-- यह अश्वशाला का अध्यक्ष होता था।

शहना-ए-पील -- हस्तिशाला का अध्यक्ष ।

'दीवान-ए-इस्तिहाक' - पेंशन विभाग

दीवान-ए-खैरात'-- दान विभाग

'दीवान-ए-बंदगान'–दास विभाग

यह तीनों विभाग फिरोजशाह तुगलक द्वारा स्थापित किते ग्रे थे।

शेष अगले भाग में.....